देवीलाल बंजाराबनाम सरकार
प्रकरण संख्या 127/2022
निर्णय दिनांक : 31.07.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

जिला–चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियॉ,आर ए एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः–127 / 2022दर्ज तिथि:04.07.2022

श्री देवीलाल उर्फ राजमल पिता दुर्गा जाति बंजारा आयु 40 वर्ष निवासी कदमाली तहसील निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़

................प्रार्थी

<u>बनाम</u>

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा जिला, चित्तौड़गढ़

...............अप्रार्थी

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः–श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा
अप्रार्थीः– पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथि : 31.07.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी श्री देवीलाल उर्फ राजमल पिता दुर्गा बंजारा निवासी कदमाली की खातेदारी की आराजियात ग्राम कदमाली में खाता संख्या 225 की आराजी नम्बर 791, 793, 794, 795, 798, 799, 800, 801, 925, 926 कुल किता 10 कुल रकबा 2.40 हैक्टेयर है जिसमें प्रार्थी का 1/14 वां हिस्सा एवं खाता संख्या 226 की आराजी नम्बर 796 रकबा 0.06 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का 1/28 वां हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। यह कि प्रार्थी के जन्म के समय उसके पिता ने स्नेहवश उसका नाम राजमल रखा था, परन्तु विद्यालय में प्रवेश करवाते समय प्रार्थी के पिता ने बडे बुजुर्गो के कहने से व बडे बुजुर्गो का सम्मान रखने के लिये प्रार्थी का नाम विद्यालय में देवीलाल लिखवाया, जिससे राजमल के समस्त सरकारी दस्तावेजों मे प्रार्थी का नाम उसके विद्यालय प्रमाण पत्र के आधार पर देवीलल हीलिखा है। [illegible] के पिता दुर्गा की मृत्यु के बाद राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से दुर्गा के वारिसान के [illegible] पर प्रार्थी का नाम देवीलाल के बजाय राजमल नाम अंकित कर दिया, जिस कारण प्रार्थी का बैंक खाते में भी नाम देवीलाल होने से राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा [illegible] योजनाओं से वंचित रहना पड रहा है। प्रार्थना पत्र के अन्त में [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा[illegible]कर खाता संख्या 225 एवं 226 में प्रार्थी का नाम राजमल पिता दुर्गा के बजाय देवीलाल पिता दुर्गा बंजारा दर्ज कर संशोधित करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:10:34 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, निम्बाहेड़ा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए प्रार्थी का

उपखण्ड अधिकारी

नाम राजमल पिता दुर्गा के बजाय वास्तविक नाम देवीलाल पिता दुर्गा दर्ज करने का निवेदन किया गया।

3. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors.*** *- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties*

4. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

5. मैंनें पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मनन किया गया। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौजा कदमाली पटवार हल्का मरजीवी की खाता संख्या 225 में प्रार्थी का नाम राजमल पिता दुर्गा बंजारा निवासी कदमाली दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का नाम आम बोलचाल में राजमल होने से विरासत के नामान्तरण में वादी का नाम राजमल पिता दुर्गा बंजारा दर्ज हुआ। वादी के विद्यालय रिकार्ड, आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, एवं सरपंच ग्राम पंचायत, मरजीवी की तस्दीक में नाम देवीलाल पिता दुर्गा बंजारा दर्ज है। मजमेआम में मौतबिरान द्वारा भी वादी का नाम राजमल उर्फ देवीलाल होना बताया गया एवं खाता संख्या 225 में राजमल के बजाय देवीलाल दर्ज करने में सहखातेदारान को कोई आपत्ति नहीं है। रिपोर्ट के अन्त में तहसीलदार, निम्बाहेड़ा ने प्रार्थी का नाम राजमल के बजाय देवीलाल दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है। साथ ही मैंने पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया जिसमें प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, निम्बाहेड़ा द्वारा 9 वीं कक्षा का जारी स्थानान्तरण पत्र की फोटो प्रति में, प्रार्थी के आधार कार्ड की फो[illegible] देवीलाल दर्ज है। साथ ही राशनकार्ड की फोटोप्रति में प्रार्थी का नाम [illegible] देवीलाल दर्ज है। प्रार्थी के मतदाता पहचान पत्र की फो[illegible]सीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति में भी प्रा[illegible] नाम देवीलाल पिता दुर्गा दर्ज है। कार्यालय ग्राम पंचायत, मरजीवी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की फोटोप्रति में ग्राम पंचायत द्वारा अंकित किया गया है कि "यह प्रमा[illegible] किया जाता हैं कि श्री देवीलाल पिता दुर्गा बंजारा ग्राम कदमाली ग्राम पंचायत मरजीवी तहसील निम्बाहेडा का निवासी जो कि इनका खातेदारी में इनका नाम राजमल पिता दुर्गा है एवं सही नाम देवीलाल पिता दुर्गा बंजारा है जो कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशनकार्ड में देवीलाल पिता दुर्गा बंजारा है इसलिए खातेदारी में इनका गलत नाम है राजमल पिता दुर्गा बंजारा। अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, तहसीलदार निम्बाहेड़ा की जांच रिपोर्ट एवं ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:10:34 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी

पंचायत मरजीवी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राजमल पिता दुर्गा के बजाय देवीलाल पिता दुर्गा दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है। ग्राम कदमाली, पटवार हल्का, मरजीवी की जमाबंदी संवत 2077–2080 की खाता संख्या 225 में दर्ज आराजी नम्बर 791, 793, 794, 795, 798, 799, 800, 801, 925 एवं 926 तथा खाता संख्या 226 में दर्ज आराजी नम्बर 796 में प्रार्थी का नाम राजमल पिता दुर्गा के बजाय देवीलाल पिता दुर्गा दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार, निम्बाहेडा को आदेश की पालना करने हेतु लिखा जावे।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 31.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(रमेश सीरवी पुनमिया)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:10:34 IST
Reason: SelfAttested